न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 44/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री मगनीराम पिता नगजीराम जी भील निवासी कुण्डिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री देवजी पिता मोती जी जाट निवासी कोलपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री किशन लाल पिता मोती जी जाट निवासी कोलपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री पप्पू पिता उदयलाल जी कुम्हार निवासी कोलपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री त्रिलोक पिता उमेदा जी गाडरी निवासी कोलपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री मांगीलाल पिता होकम जी कुम्हार निवासी कोलपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा दिनांक 24–05–2017 प्रकरण
संख्या 153/2017 वाद

————/————

1– श्री एस. एस. पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक रेस्पो.सं..1 से 5
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–6

————/————

निर्णय **दिनांक 14–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा जो अनुसूचित जनजाति से है के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा–183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर स्वयं की भूमि ग्राम कोलपुरा की आराजी नंबर 317 पर प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा नाजायज कब्जा कर लेने से धारा–183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली की मांगी की। रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता ने भी उपस्थिति दी। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में प्रकरण को दिनांक 24–5–2017 को रखकर वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचिज जनजाति की भूमि में बेदखली का वाद धारा–183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही किया जाना चाहिये।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24–5–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 31–7–2017 को पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 5 की और से अधिवक्ता श्री अक्षय पालीवाल ने उपस्थिति दी। सरकार की और से औपचारिक पक्षकार के रूप में राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के अपील उजरों व बहस पर मनन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों केा समझे बिना सरसरी रूप से लोक अदालत की भावना से परे जाकर निर्णयों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से धारा–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी सुनवाई का क्षैत्राधिकार होने के बावजूद विधि से परे जाकर तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–5–2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः उभयपक्षों को विधिवत सुनकर प्रकरण में न्यायिक निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अनिस्थ न्यायालय को **प्रतिप्रेषित** किया जाता है। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–1–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री मनोहरलाल पिता हेमराज ब्राह्मण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)	बनाम	**राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द**

अपील नं0 **46/2016** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **रेलमगरा** ..... मुकाम मुक्र्खे.....**20**.....माह.....**07**..... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**10**..... माह .....**04**..... सन् **2017** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री सी.एस. शक्तावत .....** मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजकीय पैरोकार**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–07–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**10**..... माह ...**04**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0

1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।